न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर , आर. ए. एस.

वाद संख्या :– 13/2025

उनवान

1. सीताराम बलाई पुत्र रामनाथ बलाई, जाति–बलाई निवासी – बलाईयों का मौहल्ला, ग्राम नांगल जैसा बोहरा, झोटवाडा, जयपुर राजस्थान

– प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर राजस्थान

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत नवीन रास्ता चाहने हेतु अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251 क (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

निर्णय दिनांक :– 04/12/25

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि मैं आपके उपखण्ड में भूमि धारण कर रहा हूं तथा खातेदार अभिधारी है और मै मेरी जोत में पहुंच के प्रयोजन के लिये खातेदार अप्रार्थी है खसरा नम्बर 804 रकबा 0.67 हैक्टेयर वाकै ग्राम पठानो का बास, पटवार हल्का अमरसर, भू अभि. नि. क्षेत्र अमरसर, तह. शाहपुरा जिला जयपुर राज की जोत में नया मार्ग खोलने का आशय रखते हैं। इसलिये मैं राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 (1955 के अधिनियम सख्या 3) क धारा सख्या 251 (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन करता हूँ।

2. अपेक्षित विशिष्टियां निम्नानुसार हैं–

सीताराम बलाई पुत्र रामनाथ बलाई, जाति–बलाई, निवासी–बलाईयों का मौहल्ला, ग्राम–नांगल जैसा बोहरा, झोटवाडा, जयपुर, राज०

3. जोत की विशिष्टिया जिनके लिये आवेदन किया है–

(क) उपखण्ड का नाम–शाहपुरा, ग्राम का नाम जिसमें जोत स्थित है।

(ख) एकड/बीघा में क्षेत्रफल सहित आवेदक के खसरा नम्बर

श्रीमान जी खसरा नम्बर 804 रकबा 0.67 हैक्टेयर के लगते हुये खसरा नम्बर 784 में से खसरा नम्बर 1642/1617 तक रास्ता के रूप में लेने के लिये व वर्तमान में रास्ता के रूप में काम में लेते आ रहे हैं। रास्ता व आवागमन में अप्रार्थी की जोत खसरा नम्बर 784 के अलावा अन्य रास्ता नहीं है। जिसका नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

सलग्न पेश है तथा जो रास्ता चाहा गया है नक्शे में उसे लाल स्याही से अंकित किया गया है।

4. अन्य खातेदारों की जोत की विशिष्टियां जिनमें से अपेक्षित भूमिगत पाईप लाईन बिछाने/नया मार्ग खोलने/किसी विधमान मार्ग का विस्तार करने या चौडा करने का आशय रखता है–

(क) नाम पिता/पति का नाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर राज

(ख) पूरा पत्ताः– आवेदन के शीर्षक में वर्णित किया गया है।

(ग) उपखण्ड के नाम सहित ग्राम का नाम घृति स्थित है उपखण्ड का नाम स्थित है ग्राम–पठानों का बास, तह. शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है तथा उक्त खसरा नम्बर 784 में कदमी रास्ता सुचारु आवागमन के लिये उपयोग उपभोग में आ रहा है। खसरा नम्बर 784 में प्रार्थी की जोत के खसरा नम्बर 804 लगते हुये है।

(घ) एकड/बीघा में क्षेत्रफल सहित खसरा नम्बर खसरा नम्बर 784
क्षेत्रफल रकबा 0.25 है0

श्रीमान जी उपखण्ड (घ) के खसरा नम्बर अप्रार्थी के खातेदारी में अवस्थित है जो प्रार्थी की कृषि जोत से लगते हुये है उक्त खसरा नम्बर 804 के लगते हैं तथा प्रार्थी को अपनी जोत में जाने के लिये खसरा नम्बर 804 में कोई अन्य रास्ता नहीं है। इसलिए खसरा नम्बर 784 खसरा नम्बर 804 से सटाकर प्रार्थी को 30 फुट चौडाई व लगभग 30 फुट लम्बाई का प्रार्थी को अपनी जोत खसरा नम्बर 804 तक जाने हेतु खसरा नम्बर 784 में से नये मार्ग की अति आवश्यकता है तथा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी ने आवेदन प्रार्थना पत्र के साथ नक्शा प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से चिन्हित किया जाकर संलग्न किया है तथा उक्त नक्शा प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग व भाग है तथा प्रार्थी अप्रार्थी को वर्तमान सरकारी दर से असहमत होने प्रार्थी/अप्रार्थी को तयशुद

(ख) एकड/बीघा में क्षेत्रफल सहित आवेदक के खसरा नम्बर

श्रीमान जी खसरा नम्बर 804 रकबा 0.67 हैक्टेयर के लगते हुये खसरा नम्बर 784 में से खसरा नम्बर 1642/1617 तक रास्ता के रूप में लेने के लिये व वर्तमान में रास्ता के रूप में काम में लेते आ रहे हैं। रास्ता व आवागमन में अप्रार्थी की जोत खसरा नम्बर 784 के अलावा अन्य रास्ता नहीं है। जिसका नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न नक्शा में लाल स्याही से चिन्हित प्रस्तावित नया मार्ग खोलने व राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने की आज्ञा प्रदान करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किये गये एवं तहसीलदार शाहपुरा को रिपोर्ट भिजवाने हेतु पत्र जारी किया गया। प्रकरण में

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/रीडर/2025/1612 दिनांक 10.07.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। वकील प्रार्थी ने प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन कर एवं कोई आपत्ति पेश नहीं कर मुताबिक तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया।

वकील प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली व प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत एवं बाद बहस मनन उपरांत जाहिर होता है, कि प्रश्नागत विवादित आराजीयात् में पहुँच मार्ग हेतु रास्ता नहीं होने से तहसीलदार शाहपुरा द्वारा आराजी खसरा नम्बर 784 कुल रकबा 0.25 है0 में से 0.0120 है0 भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित की है एवं प्राप्त रिपोर्ट पर वकील प्रार्थी ने कोई आपत्ति पेश नहीं की है बल्कि प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने हेतु सहमति दी है। अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट में जो रास्ता प्रस्तावित किया है, के अनुसार अप्रार्थीगण की भूमि में से प्रस्तावित रास्ता दिया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति 1955 की धारा – 251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010 न्यायिक दृष्टि से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपनी जोत आराजी खसरा नंबर 804 तक जाने हेतु आराजी खसरा नंबर 784 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम पठानो का बास, पटवार हल्का अमरसर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में से 0.0120 है0 भूमि, तहसीलदार शाहपुरा द्वारा रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की वर्तमान में प्रचलित डीएलसी दर से 2 गुना भूमि की कीमत आंकलन कर राशि प्रार्थीगण से वसूल कर नियमानुसार खातेदारान/अप्रार्थीगण को भुगतान किया जाकर राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में सिवायचक गै0 मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। निर्णय आज दिनांक 05/12/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(संजीव कुमार खेदर, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.